



1. डॉ० अंजू
2. देवेन्द्र कुमार

प्रवासी मजदूरों की चुनौतियां एवं बढ़ती समस्याओं का समाजशास्त्री अध्ययन

1. प्रोफेसर, 2. शोध अध्येता- समाजशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ०प्र०), भारत

Received-11.04.2024, Revised-17.04.2024, Accepted-21.04.2024 E-mail: aaryvart2013@gmail.com

सांशः भारत विविधताओं का देश है जिसमें अनेक प्रकार के धार्मिक भाषाएं एवं संस्कृतियों से सुसज्जित विभिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं। भारतीय समाज को मुख्यतः ग्रामीण एवं नगरी समाज में बांटा जा सकता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 68.86 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाला परिवार का स्वरूप पहले संयुक्त पाया जाता था परंतु वर्तमान समय में बढ़ते औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के कारण होने वाले प्रवास से संयुक्त परिवार धीरे-धीरे एकांकी परिवार में परिवर्तित होते जा रहे हैं भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या विस्फोट एक अत्यंत गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है जैसे तो किसी भी देश व राज्य के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ती हुई जनसंख्या घनत्व चिंता का विषय है। जिस कारण लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर व अन्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं एवं उनकी मूलभूत आवश्यकताएं व जरूरतें पूरी नहीं हो पाती जिससे वे एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करने पर मजबूर हो जाते हैं और संसाधनों के अभाव में वे अपना घर गांव या शहर छोड़कर किसी ऐसे स्थान या जगह पर पलायन कर जाते हैं जहां उन्हें अच्छा कार्य उचित वेतन व अन्य सुख सुविधा इत्यादि मिलती है, इस प्रकार वे लोग उसी स्थान पर रहकर अपना कार्य करने लगते हैं, जिस कारण प्रवासी मजदूर बन जाते हैं। भारत जैसे विशाल देश में प्रवासी मजदूरों के आकार और महत्व को सही ढंग से पहचाना नहीं गया है। प्रवासी मजदूरों के संबंध में आधिकारिक आंकड़ों का अभाव से उनके विकास में एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आया है। अठ्ठाइस शहरी क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों को पीने का शुद्ध पानी बिजली सुरक्षित आवास जैसी सुविधाओं के अभाव में प्रवासी मजदूरों को छोटी व गंदी बस्तियों में रहना पड़ता है, जिस कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता है (एसडीजी) के 17 लक्ष्यों में से आठवां लक्ष्य सभी कार्य और आर्थिक विकास से संबंधित है, जो समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभी के लिए सभी काम से है तथा दसवां लक्ष्य में देश के भीतर और बीच में असमानता को कम करें, जो प्रवासी मजदूरों के स्थिति में सुधार के लिए एक सराहनीय कदम होगा, जो सामाजिक न्याय की भावना को सरोकार करता है।

कुंजीभूत शब्द- धार्मिक भाषाएं, भारतीय समाज, जनगणना, ग्रामीण क्षेत्रों, औद्योगीकरण, नगरीकरण, संयुक्त परिवार, एकांकी परिवार।

प्रवासी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उनके लिए उपलब्ध रोजगार के विभिन्न अवसरों पर विचार करते हैं और वह विकल्प चुनते हैं, जो प्रवासन से उनकी अपेक्षित मजदूरी को अधिकतम करता है। न्यूनतम शहरी मजदूरी ग्रामीण मजदूरी से काफी अधिक है यदि शहरी क्षेत्र में न्यूनतम वेतन पर अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जाते हैं, तो अपेक्षित वेतन में वृद्धि होगी और ग्रामीण शहरी प्रवासन में वृद्धि होगी। अपेक्षित मजदूरी वास्तविक शहरी आय और ग्रामीण कृषि आय के अंतर और प्रवासियों को शहरी नौकरी मिलने की संभावना से मापी जाती है वास्तव में एक प्रवासी बाहरी शहरी क्षेत्र में एक निश्चित समय सीमा के लिए अपनी अपेक्षित आई की तुलना अपनी प्रचलित औसत ग्रामीण आय से करता है और यदि पूर्व बाद वाले अधिक हैं, तो पलायन कर जाता है। इस प्रकार हैरिस टोडरो मॉडल में प्रवासन को देखा जाता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच वेतन या आय अंतर के रूप में लेकिन सभी प्रवासियों को उच्च वेतन पर शहरी क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता है। कई लोग नौकरी ढूँढने में असफल हो जाते हैं और अनौपचारिक शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र से भी कम वेतन पर रोजगार प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार हुए शहरी क्षेत्र में अल्प बेरोजगार या प्रच्छन्न बेरोजगारों की कतार में शामिल हो जाते हैं।

नवशास्त्रीय सिद्धांतकारों जैसे- लुईस, हैरिस, टोडरो और सजास्ताद कि कुछ धारणाएं हैं। उनके अनुसार लोगों का प्रवासन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मजदूरी दरों में अंतर के कारण होता है। क्षेत्र के बीच समस्त प्रवास प्रवाह व्यक्तिगत लागत लाभ गणना के आधार पर किए व्यक्तिगत कदमों का सरल योग है। क्षेत्र के बीच कमाई और रोजगार दरों में अंतर के प्रभाव में प्रवास नहीं होगा और तब तक होगा जब तक अपेक्षित कमाई बराबर नहीं हो जाती प्रवासन निर्णय श्रम बाजारों के बीच असंतुलन से शुरू होता है। अन्य बाजार सीधे प्रवास के निर्णय को प्रभावित नहीं करते हैं। सरकारों के लिए प्रवासन प्रवाह को नियंत्रित करने का तरीका भेजने वाले और प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में श्रम बाजार को विनियमित या प्रभावित करना है। कोहेन तथा गोल्पर्ट ने व्यवहार सिद्धांत पर आधारित प्रवासन का एक मॉडल प्रस्तुत किया। प्रवासी पैटर्न मानवी आकांक्षाओं, आवश्यकताओं और धारणाओं की एक समग्र अभिव्यक्ति है गोल्पर्ट ने मानव गतिशीलता व्यवहार को कई सदनों में से एक के रूप में देखा, जिसके द्वारा व्यक्ति उपयोगिता या भलाई अधिकतम कर सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रवासन मॉडल में स्थान और आबादी की विशेषताओं के बजाय व्यक्तियों के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए इस प्रकार उन्होंने अपना जो दूरी और आर्थिक उद्देश्यों को हटाकर मानव व्यवहार पर केंद्रित कर दिया। गोल्पर्ट ने प्रवासन के विभिन्न पहलुओं आर्थिक (मजदूरी, रक्तियां, बेरोजगारी) सामाजिक (सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक स्थिति) पर्यावरणीय (आवासीय संतुष्टि) आदि पर जोड़ दिया है।

प्रवासन के विश्लेषण के लिए कई अलग-अलग दृष्टिकोण के बावजूद एक बिंदु पर आम सहमति है। सभी शोधकर्ता इस बात से सहमत प्रतीत होते हैं कि लोग या परिवार अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए या अधिक सटीक रूप से भविष्य में पुराने स्थान की तुलना में नए स्थान पर बेहतर रहने के लिए प्रवास करते हैं।



प्रवासी मजदूरों की सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति का अध्ययन— यह समाज के ऐसे लोग होते हैं, जो काम या रोजगार की तलाश में अपना घर या शहर छोड़कर किसी बड़े शहर में जाते हैं। भारत में बेरोजगारी और बेकारी एक बड़ी समस्या है। उनमें से एक समस्या प्रवासी मजदूरों की भी है, जब ये अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में प्रवास करते हैं तो उनके सामने अनेक समस्या जैसे — शोषण, मानसिक दबाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आदि देखने को मिलते हैं। देश में गरीब प्रवासी मजदूरों के आंतरिक प्रवास में बढ़ोतरी हो रही, जिसके कारण प्रवास की प्रक्रिया देश के लिए चुनौती का रूप धारण करती जा रही है। यह व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करती है। सामाजिक दृष्टिकोण से इनके अध्ययन के द्वारा पाया गया कि प्रवासी मजदूरों के परिवार की संरचना परिवार के सदस्यों की आयु संरचना बेरोजगारी सदस्यों का शैक्षणिक स्तर इनका व्यवसाय पेयजल का स्रोत शौचालय की सुविधा स्नान घर की सुविधा आदि संरचना विस्थापन के दौरान अनेक समस्याओं के पश्चात यह सभी बदल जाते हैं। अध्ययन के दौरान पाया गया कि विस्थापन से परिवार की संरचना प्रभावित होती है विस्थापन से पूर्व संयुक्त परिवार सार्वभौमिक पाए जाते थे प्रवास के उपरांत विस्थापित परिवारों में एकांकी परिवारों के प्रतिशतता में वृद्धि हुई है, इनके रहने या आवास के स्वरूप को देखा जाए तो इनका वेतन और कौशल का स्तर निर्धारित करता है। यह लोग एक ही कमरे में 5 से 10 लोग रहते हैं कुछ टीन शेडों से बनी झोपड़ियां में तथा कुछ प्लास्टिक या खुले स्थान में भी रहते हैं। इनको रसोई जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं रहती और ना ही स्वच्छ शौचालय इन लोगों की स्थिति इतनी दयनीय होती है, इन मजदूरों के परिवार में पीने का पानी का मुख्य स्रोत पहले खुला कुआं हैड पंप था लेकिन विस्थापन की कार्यवाही में यह सभी अधिग्रहित हो जाने के कारण वर्तमान में हैडपंप से ही पीने का पानी उपयोग में लाते हैं। वर्तमान में शौचालयों की सुविधा की दृष्टि से इसका सर्वाधिक उपयोग करने वाले मजदूरों की प्रतिशतता अधिक होती है। यह समाज के एक पिछड़े तबके के लोग हैं उनके वैवाहिक स्तरों का अध्ययन किया गया तो प्रवास से पूर्व अंतरजातीय विवाह का स्तर सामान्य है तथा प्रवास के पश्चात विवाह विच्छेद में वृद्धि हुई, क्योंकि प्रवास के कारण विवाह विच्छेद अधिक होता है तथा बाल विवाह कम होते हैं क्योंकि प्रवास के उपरांत सगाई संबंध बनने में अधिक समय लगता है क्योंकि प्रवासी परिवार के पास भूमि, सामान्य आवास समुचित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना का अभाव होता है। इसलिए देरी से विवाह संबंध स्थापित होते हैं प्रवास के दौरान दहेज का लेनदेन कम होता है, क्योंकि मुख्य व्यवसाय छुटने एवं समुचित रोजगार का अभाव हो जाता है। इसलिए परिवार के पास धन का भाव होता है अतः दहेज का लेनदेन कम हो जाता है। सामाजिक अध्ययन के साथ-साथ इनकी आर्थिक स्थिति का भी अध्ययन किया गया है।

रिवेंस्टीन ने बताया कि प्रवासी मजदूर कम दूरी के भी होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये अपने निवास स्थान परिवर्तित करते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में ज्यादा आर्थिक लाभ वाले शहरों या दूसरे इलाकों में काम करने के लिए 14 करोड़ 40 लाख लोगों ने प्रवास किया है। करीब देश में 25 लाख प्रवासी मजदूर कृषि एवं बागवानी, ईट भट्टों, खदानों, निर्माण स्थलों तथा मत्स्य और कारखानों में कार्यरत हैं। साथ ही वे आकस्मिक, सर पर बोझा ढोने वाले मजदूर, रिक्शा चालकों और फेरी वालों के रूप में कार्यरत हैं। काम के आकस्मिक प्रकृति के कारण आवास स्थान में बदलाव के कारण रोग फैलने की संभावना ज्यादा होती है। पुनर्वास दूर क्षेत्र में करने के कारण चिकित्सा सुविधाओं का समय पर विस्थापित लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। धन का अभाव एवं इलाज का खर्च अधिक होने के कारण भी प्रवासी है मजदूर लोग चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं। साथ ही महिलाएं अस्पतालों में प्रसव भी नहीं करवाती हैं बीमारियों का प्रसार एवं दवाइयों के खर्च में वृद्धि हुई है प्रवास के कारण सर्वाधिक प्रभाव स्त्रियों एवं बच्चों पर दिखाई देता है।

प्रवास से बढ़ता दरिद्रीकरण— प्रवास आधुनिक समाजशास्त्रीय अध्ययन में जोखिम प्रारूप की कल्पना की गई है, जो की अस्वैच्छिक प्रवास से उत्पन्न होता है। यह जोखिम प्रारूप योजनाओं के निर्धारण तथा उनके क्रियान्वयन प्रबंधन तथा विस्थापन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत कार्यहीनता, भूमिहीनता, घर का छीन जन एवं न्यूनतमीकरण कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है। विस्तृत रूप से इसका आशय आर्थिक क्षमता में कमी से लिया जाता है।

प्रवास के दौरान मजदूरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव मृत्युता है। उनके स्वास्थ्य स्तर का निम्न होना, पोषण का अभाव, इनके कारण लोगों की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और वे लोग जिस इलाकों में काम करते हैं वहां पर डिस्पेंसरी या अस्पताल भी बनाया जाता है, पर वहां पर ना तो डॉक्टर होते हैं और ना ही नर्सिंग स्टाफ। तथा प्रवास के कारण मजदूरों पर खाद असुरक्षा का असर साफ दिखता है, जो लोग कृषि भूमि पर खेती करके पहले अपना पेट पालते थे। वह अब भूमि की अभाव के कारण असुरक्षित महसूस करते हैं। तथा इस प्रकार के अनेक समस्याओं का सामना इनको करना पड़ता है। उनकी समस्याओं का एक पहलू यह भी देखने को मिलता है कि जब ये एक राज्य से दूसरे राज्य में काम की तलाश में जाते हैं, तो इनको बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पर जानकारी के अभाव तथा आर्थिक कमी के कारण (ट्रेन के जनरल डिब्बों) में धक्का मुक्की तथा अनेक समस्याओं से जूझते हुए जाते हैं।

कुछ महत्वपूर्ण तथ्य— प्रवास एक सार्वभौमिक तथ्य है दुनिया के प्रत्येक समाज में किसी ना किसी कारणों से प्रवास की प्रवृत्ति आवश्यक रूप से देखा जा सकता है। इस तथ्यों में प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को गंभीरता से देखा जाए, तो इनका जीवन बहुत ही कष्टसाध्य होता है।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पापुलेशन साइंस के अनुसार लेबर और माइग्रेशन पर काम करने वाली संस्था 'आजीविका' इन आंकड़ों की प्रतिपुष्टि करती है कि आजीविका के लिए लगभग 4 करोड़ मजदूर भवन निर्माण 2 करोड़ घरेलू तथा एक करोड़ टेक्सटाइल ईट भट्टों तथा कोयले के खदानों में कार्यरत हैं। सबसे अधिक प्रवासी मजदूर भारत के उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, तथा बिहार में हैं। उनकी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने भी नए कदम बढ़ाए जो इस प्रकार हैं— प्रवासी मजदूरों के कल्याण हेतु सरकार की नई पहल में राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति बनया जिसका मसौदा वर्ष 2021 में नीति आयोग ने अधिकारियों और नागरिक समाज के सदस्यों के



कार्यकारी उप समूह के साथ मिलकर बनाया।

वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) पीएम गरीब कल्याण योजना तथा ई-श्रम पोर्टल जो प्रवासी मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान की गई है। अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन समाविष्ट है। इसमें मजदूरों को नियमित रूप से सुनिश्चित मजदूरी का भुगतान नियमित रोजगार अवधि हफ्ते में एक दिन छुट्टी स्त्री हो या पुरुष उन्हें समान कर के लिए समान वेतन का अधिकार काम की जगह पहने जाने वाले सुरक्षा के साधन निर्धारित और मुफ्त चिकित्सा सुविधा और रोजगार के दौरान उपयुक्त आवासीय सुविधा दी जाती है।

निष्कर्ष- स्पष्ट कहा जा सकता है कि प्रवास के दौरान मजदूरों के परिवारों की स्थिति में सामाजिक आर्थिक व्यवसाय शिक्षा पेयजल आवास शौचालय स्नानघर आदि सुविधाओं में कई परिवर्तन दिखाई दिए हैं। मजदूरों के सामाजिक व्यवहार अनुमाप द्वारा यह ज्ञात होता है कि परिवार के आकार में कमी आई है। अतः छोटे परिवार बढ़ गए हैं। विवाह विच्छेद में वृद्धि दिखाई देती है। पुनर्विवाह और बाल विवाह में भी कमी के संकेत मिलते हैं। प्रवासी मजदूरों को प्रवास के दौरान जानकारी के अभाव में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनका शोषण होता है लेकिन सरकारी स्कीमों द्वारा उनके समस्याओं को कम किया गया है। इसके लिए स्थायी मूल निवास स्थान अर्थात् उनके गांव के स्तर पर जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। अपने स्थायी निवास स्थान पर वित्तीय कानूनी, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं और लाभों जिनके भी हकदार हैं तथा अपने गंतव्य स्थान में आत्मनिर्भर बन सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. दुबे, अजय (2003) : इंडियन डायस्पोरा दी ग्लोबल आइडेंटिटी न्यू डेल्ही , कलिंग पब्लिकेशन।
2. कपूर, देवेश (2010) : डायस्पोरा, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी, दी डोमोस्टिक इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, न्यू डेल्ही, ऑक्सफोर्ड प्रेस।
3. साहू, ए.के. (2012) : इंडियन डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनलिज्म वर्ड फोकस प्रवासी भारतीय विशेषांक जनवरी (2015) जयपुर, रायपुर पब्लिकेशन।
4. सिंह, शिव शंकर : मारीशस के राष्ट्र निर्माण में प्रवासी भारतियों की भूमिका 1834 ई. से 1968 तक एक अध्ययन।
5. अखिलेश्वर (1997) : आधुनिक भारतीय समाज में बदलाव की चुनौतियाँ नई दिल्ली।
6. सी.डी. धान्या (2017) : केरल प्रवास में प्रवासी मजदूरों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुकूलन का अध्ययन।
7. बेदी, सुषमा (2012) : प्रवासी भारतीय समाज के विविध पक्ष 3 सितम्बर।
